(1)

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांक प. 11 (3) शिक्षा–4/2009पार्ट

दिनांक: 31 मई, 2019

आदेश

शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए सत्र 2019–20 के लिए शुल्क

राज्य के गैर–अनुदानित शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थानों के 2018–19 के वार्षिक शुल्क के संबंध में जारी विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 22 मार्च 2018, आगामी शैक्षणिक सत्र 2019–20 के लिए भी लागू होगा।

286
3/6/19

(डॉ० राजेन्द्र जोशी)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

JD(PT)
3/6

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष, नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्यूकेशन (एनसीटीई), हंस भवन, विंग–1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्रीय समिति, नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्यूकेशन (एनआरसी–एनसीटीई), G–7, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली 110075।
10. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. संयुक्त सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
13. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
14. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
15. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
16. कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
17. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
18. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
19. कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
20. कुलसचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक F24(Fee) B.Ed/आयुक्त/2019/255 दिनांक 03.6.2019
प्रभारी वेबसाइट, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर
कृपया विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।

Certified True Copy
Registrar
Jagan Nath University, Jaipur

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

(2)

राजस्थान सरकार

शिक्षा(ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः प. 11 (3) शिक्षा–4 / 2009पार्ट   दिनांकः 22 मार्च, 2018

आदेश

शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए सत्र 2018–19 के लिए शुल्क

नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्यूकेशन के रेगुलेशन के अनुसार गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की अनुशंसा पर राज्य के गैर–अनुदानित शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सत्र 2018–19 के लिए निम्नानुसार वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है:–

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	मद	बी.एड. / शिक्षाशास्त्री	एम.एड. / शिक्षा–आचार्य	बी.पी.एड. / एम.पी.एड.	बी.ए.–बी.एड. / बी.एड.– एम.एड. बी.एस.सी.–बी.एड.
1.	शिक्षण शुल्क	17880.00	17880.00	17880.00	17880.00
2.	विविध शुल्क	4440.00	4440.00	4440.00	4440.00
3	कम्प्यूटर शुल्क*	960.00	-	-	960.00
4	अन्य गतिविधियां*	3600.00	-	-	3600.00
	योग	26880.00	22320.00	22320.00	26880.00

*(क्र.सं. 3 व 4 पर वर्णित शुल्क बी.पी.एड. व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।)

उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 2 में वर्णित विविध–शुल्क का मदवार विवरण निम्नानुसार होगा:–

क्र.सं.	मद	बी.एड. / शिक्षाशास्त्री	एम.एड. / शिक्षा–आचार्य	बी.पी.एड. / एम.पी.एड.	बी.ए.–बी.एड. / बी.एस.सी.–बी.एड / बी.एड.– एम.एड.
(A)	कार्यालय व्यय				
1.	प्रवेश शुल्क *	36	36	36	36
2.	कॉशन मनी *	180	180	180	180
3.	प्रमाण–पत्र	24	24	24	24
4.	विकास शुल्क	840	840	840	840
5.	बिजली–पानी	840	840	840	840
6.	परीक्षा	300	300	300	300
7.	विविध	60	60	60	60
	योग (A)	2280	2280	2280	2280

Certified True Copy
Registrar
Jagan Nath University, Jaipur

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

Scanned with CamScanner

(B)	छात्र कोष				
1.	खेलकूद	180	180	180	180
2.	पुस्तकालय	540	540	540	540
3.	कला, संगीत एवं संस्कृति	180	180	180	180
4.	मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला	180	180	180	180
5.	शैक्षिक तकनीकी	360	360	360	360
6.	कार्यशाला / कार्यानुभव	360	360	360	360
7.	विज्ञान शुल्क	180	180	180	180
8.	आकस्मिक व्यय	180	180	180	180
	योग (B)	2160	2160	2160	2160
महायोग (A+B)		4440.00	4440.00	4440.00	4440.00
(* कार्यालय व्यय के क्र.सं. 1 व 2 पर वर्णित मद का शुल्क किसी भी पाठ्यक्रम में सिर्फ प्रवेश के प्रथम वर्ष में ही देय होगा)					

उपरोक्त शुल्क वार्षिक रूप से देय होगा। पूर्व के वर्षों में प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों को सत्र 2018–19 / आगामी सत्रों के लिए संगत आदेश के अनुसार ही वार्षिक शुल्क, प्रवेश शुल्क व कॉशन मनी मद की राशि को छोड़कर, शेष शुल्क संबन्धित महाविद्यालय / संस्था में जमा करवाना होगा। उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त वरिष्ठ विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के प्रीमियम की राशि पृथक से देय होगी।

शुल्क की राशि जमा करने हेतु प्रवेश समन्वयक व महाविद्यालय / संस्थाएं राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार आवेदकों / विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से कैशलैस विकल्प उपलब्ध करवाएं।

(डॉ0 राजेन्द्र जोशी)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष, एनसीटीई, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. क्षेत्रीय निदेशक,एनसीटीई (एनआरसी) जीवननिधि– II, एलआईसी भवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर।
10. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
12. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।

Certified True Copy
Registrar
Jagan Nath University, Jaipur

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

Scanned with CamScanner

13. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
14. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
15. कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
16. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
17. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
18. कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
19. कुलसचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
20. कुलसचिव, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
21. कुलसचिव, जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
22. कुलसचिव, ... निजी विश्वविद्यालय, ...
23. कुलसचिव, ... डीम्ड विश्वविद्यालय, ...
24. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
25. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
26. संयुक्त निदेशक, निजी संस्था, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
27. मुख्य लेखाधिकारी एवं प्रभारी छात्रवृत्ति, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
28. वरिष्ठ लेखाधिकारी, (शिक्षा ग्रुप–5) विभाग, सचिवालय।
29. समन्वयक, पीटीईटी परीक्षा 2018, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
30. समन्वयक, एमपीईटी परीक्षा 2018, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
31. समन्वयक, प्री–बी.पी.एड व प्री–एम.पी.एड परीक्षा 2018, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
32. समन्वयक, पीएसएसटी परीक्षा 2018, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
33. प्रभारी वेबसाईट, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर–वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(नोटः–प्रवेश परीक्षाओं की समन्वयक संस्थाओं को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति वेबसाईट पर अपलोड करवायें तथा एनसीटीई के विनियम 2002 व संशोधन 2010 के बिन्दु संख्या 9(1) (iv) के अनुसार सत्र 2018–19 के लिए निर्धारित शुल्क के मंतव्य का समाचार पत्रों में प्रकाशन करवायें)

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

क्रमांक F24(Fee)/सी.ए/आकाशि/2018/206 दिनांक 23.03.2018

प्रभारी वेबसाईट, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
कृपया विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

23.3.18

संयुक्त निदेशक (निजी संस्थान)
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा
राज. जयपुर

Certified True Copy
Registrar
Jagan Nath University, Jaipur

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

Scanned with CamScanner

कार्यालय समन्वयक PTET-2022
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,जोधपुर

सेक्टर–1, विश्वविद्यालय स्टाफ कॉलोनी,
राजकीय रेजीडेन्सी अस्पताल के पीछे, अरोड़ा सर्कल, रेजीडेन्सी रोड़, जोधपुर (राज.)–342001
Email : jnvuptet2022@gmail.com Mobile :- 9653914582

अधिसूचना संख्या : 3/2022 दिनांक : 31.07.2022

चार वर्षीय बी.ए. बी.एड./बी.एस.सी. बी.एड. पाठयक्रम की फाउंसलिंग प्रक्रिया

1. पी.टी.ई.टी.–2022 चार वर्षीय बी.ए. बी.एड./बी.एस.सी. बी.एड. प्रवेश परीक्षा का परीक्षा परिणाम दिनांक 22.07.2022 को अधिकृत वेबसाईट www.ptetraj2022.com एवं www.ptetraj2022.org पर जारी किया जा चुका है। परीक्षा की अंकतालिका में अभ्यर्थी की श्रेणी इत्यादि का अंकन किया गया है। अभ्यर्थी जांच लें कि उसके तथ्य/डाटा सही है अथवा नहीं। यदि कोई त्रुटि है तो काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व ऑनलाईन विधि से अपने तथ्य/डाटा सही करवा लें। **काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पश्चात् अभ्यर्थी के डाटा में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा।**

2. पी.टी.ई.टी.–2022 चार वर्षीय बी.ए. बी.एड./बी.एस.सी. बी.एड. प्रवेश परीक्षा में प्रविष्ट सभी अभ्यर्थियों का बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया है। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी इस टेस्ट में अपने प्राप्त अंको के आधार पर पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) शुल्क जमा करवा कर काउंसलिंग में भाग ले सकता है।

3. अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु उनके द्वारा चयनित विकल्पों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी के संकाय, श्रेणी, उप श्रेणी एवं परीक्षा प्राप्तांक आदि के अनुसार उपलब्ध सीटों पर मेरिट के आधार पर महाविद्यालय आवंटन होगा। **अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से महाविद्यालय चयन हेतु दिये जाने वाले विकल्प (Choices) मे अधिकतम विकल्प भरे। अभ्यर्थी सभी उपलब्ध महाविद्यालयों का विकल्प के रूप में चयन कर सकता है। महाविद्यालय विकल्प देने की कोई सीमा नहीं है।** अभ्यर्थियों को महाविद्यालय चयन हेतु ऑप्शन भरने के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात् अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

4. चार वर्षीय बी.ए. बी.एड./बी.एस.सी. बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाईन काउंसलिंग द्वारा महाविद्यालय चयन/आवंटन एवं अन्य प्रक्रियाओं का कार्यक्रम निम्न प्रकार होगा–

विवरण	दिनांक
अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में अपलोड की गई अपनी प्रोफाईल में ऑनलाईन संशोधन पीटीईटी की अधिकृत वेबसाईट www.ptetraj2022.com एवं www.ptetraj2022.org पर	29.07.2022 से 04.08.2022
ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क 5000/– ऑनलाइन/ई–मित्र के माध्यम से जमा करवाना	07.08.2022 से 16.08.2022
महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाईन विकल्प भरना (पंजीकरण शुल्क रू 5000/– जमा करने के पश्चात)	07.08.2022 से 18.08.2022
प्रथम काउंसलिंग पश्चात् आवंटित महाविद्यालय की सूचना	22.08.2022
प्रवेश हेतु शेष शुल्क रू 22000/– (सत्र 2022–23) बैंक/ ऑनलाईन /ई–मित्र के माध्यम से जमा करवाना।	23.08.2022 से 30.08.2022
प्रथम काउंसलिंग पश्चात् आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग (शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ)	24.08.2022 से 31.08.2022
अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु ऑनलाइन आवेदन (महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के पश्चात्)	26.08.2022 से 02.09.2022
अपवर्ड मूवमेन्ट के पश्चात् महाविद्यालय आवंटन एवं गैर आवंटित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटन की सूचना	06.09.2022
अपवर्ड मूवमेन्ट पश्चात् आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग	07.09.2022 12.09.2022

5. रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल ऑनलाइन अथवा ई–मित्र एवं शेष शुल्क उपर्युक्त वर्णित तिथियों में बैंक समयावधि में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की किसी भी शाखा में, ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे व ई–मित्र के माध्यम जमा किया जायेगा। (बैंक खाता संख्या 683501701316 आई.एफ.एस.सी. कोड ICIC0006831 खाता धारक का नाम PTET-2022 JAI NARAIN VYAS UNIVERSITY बैंक शाखा ICICI BANK Sojati Gate, Jodhpur)

6. ऑनलाईन कांउसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण में अभ्यर्थी को ई–मित्र ऑनलाईन माध्यम से काउंसलिंग आई.डी. इत्यादि का उपयोग करते हुए 5000/– रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाना होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया मे भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी पीटीईटी– 2022 के अपने मूल आवेदन–पत्र में दर्शाए गये केटेगरी (GEN,SC,ST,OBC,SBC,MBC,EWS etc.) तथा सब केटेगरी (Divorce/PH/Defence etc.) की जांच कर लें तथा अपने पास मूल दस्तावेज उपलब्ध हो, इसकी भी जांच कर लें। जाति प्रमाण–पत्र वैध होना चाहिए।

Certified True Copy
Registrar
Jagan Nath University, Jaipur

Scanned with CamScanner

कार्यालय समन्वयक PTET-2022
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,जोधपुर

सेक्टर–1, विश्वविद्यालय स्टाफ कॉलोनी,
राजकीय रेजीडेन्सी अस्पताल के पीछे, अरोड़ा सर्कल, रेजीडेन्सी रोड़, जोधपुर (राज.)–342001
Email : jnvuptet2022@gmail.com Mobile :- 9653914582

7. महाविद्यालयों के चयन हेतु पीटीईटी–2022 की अधिकृत वेबसाईट पर स्थित महाविद्यालयों की सूची में नाम, पता इत्यादि स्पष्ट कर लें एवं इन महाविद्यालयों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी अच्छी तरह प्राप्त कर लें तदुपरान्त ही काउंसलिंग हेतु अधिक से अधिक कॉलेजों का चयन कर ही लॉक करना उचित रहेगा। **All Rajasthan का चयन अति सावधानी से करें।** कॉलेज चॉइस लॉक करने में जल्दबाजी न करें।

8. अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित नहीं होने पर 200/– रूपये कटौती करके 4800/– रिफण्ड हो जायेंगे, किन्तु महाविद्यालय आवंटित होने के उपरान्त ऑनलाईन रिपोर्टिंग नहीं करने व शेष शुल्क जमा नहीं करवाने पर अभ्यर्थी के 600/– रूपये काटकर 4400/– रिफण्ड होंगे। रिफण्ड अभ्यर्थी के स्वयं के बैंक खाते में ही होंगे। अतः आवेदन पत्र में नाम, खाता संख्या इत्यादि पूर्ण सावधानी से भरें।

9. काउंसलिंग के उपरान्त अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचना उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर प्राप्त होगी। तत्पश्चात् अभ्यर्थी ऑनलाईन (Student Login) द्वारा सभी वाछंनीय दस्तावेज अपलोड करेंगे। उसके पश्चात् शुल्क की शेष राशि रूपये 22000/– ऑनलाईन/ई–मित्र अथवा बैंक के माध्यम से जमा करवायेंगे। शुल्क जमा होने के पश्चात् संबंधित महाविद्यालय द्वारा मूल दस्तावेज सत्यापन (वेरिफाई) करने के बाद अभ्यर्थी का प्रवेश Confirm होगा तथा अभ्यर्थी को महाविद्यालय आंवटन की सूचना प्राप्त हो जाएगी। महाविद्यालय आंवटन–पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिन्ट निकालकर सुरक्षित रख लें।

10. अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गये महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क 22000/– फीस जमा होने और महाविद्यालय द्वारा Verification होने के उपरान्त ही Upward Movement कर सकते है। Upward Movement के उपरान्त नया महाविद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूर्व में आवंटित महविद्यालय जिस पर अभ्यर्थी ने ऑनलाईन रिपोर्टिंग की थी, वही महाविद्यालय आवंटित रहेगा और किसी भी स्थिति में फीस रिफण्ड नहीं होगी। Upward Movement होने पर नये आवंटित महाविद्यालय में Online Reporting करनी होगी। पुनः फीस तथा Documents अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।

11. अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित होने और 5000+22000=27000/– शुल्क जमा करवाने, ऑनलाईन रिपोर्टिंग व महाविद्यालय द्वारा Verification हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं होगा। अपवर्ड मूवमेन्ट में अपवर्ड नहीं होने पर पूर्व में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश माना जायेगा और शुल्क रिफण्ड नहीं होगा।

12. महाविद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन है और समस्त प्रक्रिया अभ्यर्थी द्वारा चुने गये महाविद्यालय, उपलब्ध सीटें, संकाय, विषय, अभ्यर्थी की केटेगरी तथा सब कैटेगरी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार ही होती है। एक बार काऊंसलिंग प्रारम्भ होने के बाद आवेदन–पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है यथा कैटेगरी, सब कैटेगरी इत्यादि।

13. सभी अभ्यर्थी काऊंसलिंग प्रक्रिया से पूर्व जांच लें कि उनके द्वारा आवेदन–पत्र में दर्शाए गये सभी तथ्य सही है और उनके पास अर्हता, कैटेगरी (GEN व EWS के लिए 50% व SC/ ST/ OBC/ SBC/ MBC/ PH/Widow/Divorce के लिए 45 %) से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेज पूर्ण एवं सही है। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता होने पर प्रवेश निरस्त माना जायेगा और प्रवेश शुल्क वापस नहीं होगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित अभ्यर्थी की होगी।

14. बी.एड. पाठयक्रम में प्रवेश के लिये समय–समय पर राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, NCTE अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश लागू होंगे।

15. अभ्यर्थी के दस्तावेजों के सत्यापन की पूर्ण जिम्मेदारी आवंटित महाविद्यालय की होगी।

16. **जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।**

दूरभाष नम्बर : 9653914582

Certified True Copy
Registrar
Jagan Nath University, Jaipur

S. Singh Bhadu.
प्रो. शिशुपाल सिंह भादू
समन्वयक

Scanned with CamScanner